प्रश्नपत्र 2 : व्यापारिक विधि, नीतिशास्त्र एवं संचार

(PAPER 2 : BUSINESS LAWS, ETHICS AND COMMUNICATION)

भाग I : मई 2016 परीक्षा के लिए लागू व अलागू होने वाली घोषणाएँ

I. मई 2016 परीक्षा के लिए आई. पी. सी. में अवधि 1.05.2015 से 31.10.2015

व्यापारिक विधि नीतिशास्त्र एवं संचार से सम्बन्धित लागू संशोधन/परिपत्र। अधिसूचना/नियमन आदि।

क्र. सं.	कम्पनी अधिनियम, 2013 बिन्दु से सम्बन्धित संशोधन	विवरण
1.	कम्पनी (जमा का स्वीकार करना) द्वितीय संशोधन नियम 2015	अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. 695 (E) दिनांक 15 सितम्बर, 2015, MCA द्वितीय संशोधन नियम, 2015 बनाया गया व और संशोधन कर कम्पनी (जमा का स्वीकार्य होना) नियमन 2014, यह संशोधन उप वाक्य (viii), वाक्य (C), व उपनियम (1), व नियम 2 का प्रतिस्थापक है।
2.	कम्पनी (प्रबन्ध व प्रशासन) संशोधन नियम 2015	अधिसूचना संख्या G.S.R. 669 (E) दिनांक 28 अगस्त, 2015 the MCA द्वारा कम्पनी (प्रबन्ध व प्रशासन) संशोधन लाया गया व कम्पनी "प्रबन्ध और प्रशासन" नियम 2014 में संशोधन लाया गया, इस संशोधन के द्वारा, नियम 23, उपनियम (I), "पाँच लाख ₹ से अधिक नहीं 'कि जगह शब्द "पाँच लाख ₹ से कम नहीं" प्रतिस्थापित होगा।
3.	धारा 8 में शामिल कम्पनियों को छूट	अधिसूचना जी. एस. आर., 466 (E) दिनांक 5 जून 2015, केन्द्रीय सरकार द्वारा जनहित के हित में यह निर्देश दिये कि कुछ प्रावधान जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के है लागू नहीं होंगे या जो कुछ अपवाद के साथ, परिवर्तन के साथ लागू होंगे जिन्होंने अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत क्रिया करने की अनुमति दि गई हो।
4.	निजी कम्पनीयों को छूट	अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. 464 (E), दिनांक 5 जून, 2015 केन्द्रीय सरकार द्वारा जनहित में यह निर्देश दिए कि कुछ प्रावधान, कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू नहीं होंगे व

© The Institute of Chartered Accountants of India

		निजी कम्पनियों पर लागू होंगे कुछ अपवाद, परिवर्तन और शामिल करने के साथ,
5.	निजी कम्पनियों को छूट	अधिसूचना जी. एस. आर. 465 (E) दिनांक 5 जून, 2015, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्देश है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधान निधी कम्पनियों पर लागू नहीं होंगे या कुछ अपवादी, परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।
6.	सरकारी कम्पनियों को छूट	अधिसूचना दिनांक जी. एस. आर. 463 (E) 5 जून, 2015 को केन्द्रीय सरकार के निर्देश है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधान सरकारी कम्पनियों पर लागू नहीं होंगे या कुछ अपवादी, परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।
7.	कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 2015	अधिसूचना दिनांक 29 मई, 2015, केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित, दिनांक जो प्रावधानों कि धाराओं 1 से 12 और 15 से 23 के प्रभाविकरण में सम्बन्धित है।
8.	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 94 (5) के अन्तर्गत क्षेत्रीय संचालक के कार्य व शक्तियों का स्थानान्तरण करना।	कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 के 18) की धारा 458 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग, कम्पनी अधिनियम, 2013 कि धारा 94 की उपधारा (5) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा क्षेत्रिय संचालक कि शक्तियों व कार्यों को मुम्बई, कोलकता, चेन्नई, नोएड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद और शिलांग के पक्ष में सौंपी गई, परन्तु कुछ शर्तों के साथ केन्द्रीय सरकार ऐसी शक्तियों का स्थानान्तरण पुनः अपने पक्ष में कर सकती है जब यह करना जनहित के लिए आवश्यक है।

(ii) विनिमय साध्य प्रलेख (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2015 :

संविधान कि अनुच्छेद 123 (2) द्वारा बताई शक्तियों के प्रयोग के सम्बन्ध में, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जिसे विनिमय साध्य (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2015 जो 15 जून, 2015 से प्रभावी हुआ, कहा जाता है, यह संशोधन ऋणी या ऋणदाता द्वारा समान किये जाने वाली कठिनाइयों को परिचय के उद्देश्य से बनाया गया, जो इस अधिनियम कि धारा 138 में दर्ज मामलों से सम्बन्धित है, अधिक मात्रा में दर्ज मामले लम्बीत पड़े हैं, अतः धारा 138 के अन्तर्गत गुनाह के लिए न्याय स्पष्ट उपलब्ध है, अधिक जानकारी के लिए अग्र पर क्लिक करें :

© The Institute of Chartered Accountants of India

http://www.prsindia.org/uploads/media/Negotiatse%20instruments Negotlable % 20 Instruments % 20 (A) % 20 second % 20 Ordinance.pdf

विद्यार्थियों को सलाह है कि वह (जुलाई 2015 प्रकाशन) अध्ययन सामग्री व अभ्यास पुस्तिका को देखें।

II. मई 2016 परीक्षाओं के लिए अलागू :

क्र. सं.	धारा संख्या	धारा शीर्षक
1.	48	अंशधारियों के अधिकार में परिवर्तन
2.	66	अंश पूँजी में कमी
3.	75	धोखे के लिए क्षतिपूर्ति
4.	97	ट्रबिनल की AGM बुलवाने कि शक्ति
5.	98	ट्रबियुन कि सदस्यों कि सभा बुलाने कि शक्ति
6.	99	प्रावधानों कि धारा 96 से 98 को पूरा करने में धोखे से सम्बन्धित सजा

भाग – 1 : प्रश्न व उत्तर

भाग – A : व्यापारिक विधि (BUSINESS LAWS)

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872

1. (a) विशाल, उम्र 16 वर्ष, एक इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र है, 1 मार्च, 2013 को उसने फीस भरने के लिए शेखर से ₹ 1 लाख का ऋण लिया, जिसे उसने 30 मई, 2014 तक वापस करने का वचन दिया। विशाल के पास ₹ 10 लाख कि निजी सम्पत्ति है। निश्चित तिथि को विशाल ने शेखर को ऋण वापस नहीं किया, अब शेखर, विशाल कि सम्पत्ति में से ऋण कि वापसी चाहता है, क्या शेखर सफल होगा?

निर्णय दीजिए, भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अनुसार।

(b) पारस्परिक वचनों से क्या आशय है, भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अनुसार पारस्परिक वचन का निष्पादन किस तरिके से पूरा होगा।

2. (a) एक पिता ने अपने पुत्र को आश्वासन दिया कि यदि वह पहली ही बार में यदि सी. ए. की परीक्षा को पास कर लेगा तो वह उसे ₹ 1 लाख की राशि देगा। पुत्र ने पहली ही बार में परीक्षा पास कर ली पर पिता ने अपने आश्वासन के उपरान्त भी उस राशि का भुगतान नहीं किया। बेटे ने उस राशि की उगाही के लिए एक वाद प्रस्तुत किया कारणों सहित बतायें कि क्या बेटा भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के अन्तर्गत वह उस राशि की उगाही कर सकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(b) दिल्ली के मि. यादव ने वैस्ट एक्सटेंशन एरिया में एक मकान खरीदने के लिए श्री शक्तावत को नियुक्त किया। मि. शक्तावत ने एक मकान एक नामित व्यक्ति के नाम ₹ 50 लाख में खरीद कर बाद में अपने ₹ 60 लाख में खरीद लिया। उसने उसी मकान को बाद में 62 लाख में मि. यादव को बेच दिया। बाद में यादव को मि. शक्तावत की बेईमानी का पता लगा। वह श्री शक्तावत को दी गई अधिक राशि वसूल करना चाहता है। क्या वह मि. शक्तावत से कोई राशि प्राप्त करने का अधिकारी है, यदि हाँ तो कितनी? विस्तार से समझाइये।

परक्राम्य विलेख अधिनियम, 1881

3. राम, श्याम का वैधानिक उत्तराधिकारी है, श्याम का देहावसान हो गया है, राम एक विपत्र पर अपने नाम से हस्ताक्षर करके ₹ 1,50,000 की देयता को स्वीकार करता है यह उस सीमा तक है जिस सीमा तक वह मृतक से उसकी परिसम्पत्ति का अधिकारी बनता है जो कि उसने मोहन की पहली जनवरी 2015 से 3 माह के उपरान्त देनी है।

विपत्र कि परिपक्वता पर मोहन वह विपत्र राम को भुगतान के लिए प्रस्तुत करता है। परन्तु राम उसका भुगतान करने से इन्कार कर देता है और यह इंकार इस आधार पर करता है कि विपत्र के भुगतान की देयता मृतक की थी इसलिए वह (राम) उस विपत्र का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है। परक्राम्य विलेख अधिनियम 1881 के प्रावधानों के संदर्भ में निर्णय दीजिये कि क्या मोहन, राम से ₹ 1,50,000 वसूलने में सफल होगा कि नहीं।

4. एक विपत्र B पर जारी करता है B उस विपत्र को बिना किसी प्रतिफल के स्वीकार करता है और वह विपत्र बिना किसी प्रतिफल के C को हस्तांतरित कर दिया जाता है। C उस विपत्र पर लिखे हुए मूल्य पर D को हस्तांतरित कर देता है निर्णय दीजिए :

(i) क्या D उस विपत्र की पूर्ववर्ती पार्टियां पर दवा कर सकता है?

(ii) क्या D से पूर्व के पक्षों को यह अधिकार है कि वह किसी पर दावा कर सकें?

अपना उत्तर परक्राम्य विलेख अधिनियम, 1881 के प्रावधानों के संदर्भ में देंवें।

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

5. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के सन्दर्भ में बताइये कि क्या निम्नलिखित व्यक्ति अधिनियम के अन्तर्गत बोनस पाने के अधिकारी है :

(i) प्रशिक्षु :

(ii) दुर्व्यवहार के कारण नौकरी से हटाया गया कर्मचारी,

(iii) अस्थायी कर्मचारी,

(iv) उजरती कर्मचारी,

(v) कर्मचारी जो, ₹ 12,000/माह से वेतन प्राप्त कर रहा हो।

6. प्रीसियस वुडन टोयस् लिमिटेड़ को कोलकाता में वर्ष 2012 में स्थापित किया गया था और उसमें 100 कर्मचारी कार्यरत थे।

© The Institute of Chartered Accountants of India

पर आरम्भ से ही कम्पनी को घाटा हो रहा था पर कम्पनी ने लेखा वर्ष 2013 तथा 2014 में न्यूनतम बोनस का भुगतान किया गया। लेखा वर्ष 2015 में कम्पनी को बहुत अधिक लाभ हुआ। पुरानी क्षति की भरपाई कर देने के उपरान्त कम्पनी के पास अभिशेष लाभ उपलब्ध था और कम्पनी अपने कर्मचारियों को बोनस देना चाहती थी।

प्रसीयस वुड़न टोयस् लि. को निम्न विषयों पर वैधानिक सलाह कि आवश्यकता है।

(a) कर्मचारियों को कितना न्यूनतम और उच्चतम बोनस दिया जाये

(b) क्या कम्पनी उसके द्वारा कर्मचारियों को दिया गया पूरा बोनस का समाशोधन उस लेखा वर्ष के देय बोनस की गणना करते समय कर लेते।

(c) कम्पनी बोनस में लकड़ी के खिलौने नकद के स्थान पर देना चाहती है क्या कम्पनी ऐसा कर सकती है।

प्रीसियस वुड़न टोयस् लि. को बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के प्रावधानों का कथन करते हुए उचित सलाह दो।

कर्मचारी "भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

7. कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 में किये गये प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी एवं नियोक्ता द्वारा भविष्य निधि को किये गये योगदान का विवरण दीजिए क्या किसी कर्मचारी के लिए यह सम्भव है वह न्यूनतम वैधानिक योगदान से अधिक योगदान भविष्य निधि में कर सकता है।

8. ABC लि. का एक कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 का सदस्य है, एक दुर्घटना में मारा गया। अधिनियम के अधीन बताइए कि उसकी भविष्य निधि में जमा धनराशि किसको देय होगी?

उपादान भुगतान अधिनियम, 1972

9. उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न नामांकन वैध है या नहीं, बताइए।

(i) R जिसके पास उसकी परिवार में 4 सदस्य है उसके मित्र को उपादान भुगतान के लिए नामांकित करना चाहता है।

(ii) S जिसके पास परिवार नहीं है वह अपने मित्र को उपादान के उद्देश्य से नामांकित करना चाहता है। बाद में उसके पास परिवार आता है परन्तु वह नामांकन में बदलाव नहीं करता है।

10. एक कर्मचारी जिस पर ग्रेच्यूटी भुगतान अधिनियम, 1972, लागू होता है उसने अपने कार्य करते हुए चोरी की जिसके फलस्वरूप उसकी सेवाएं निरस्त कर दी गईं। इस बारे में बताइए की क्या उसे कर्मचारी कोष से देय ग्रेच्यूटी को पूर्ण तथा या आंशिक रूप से जब्त किया जा सकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

कम्पनी अधिनियम, 2013

11. सुजिव, एक अंशधारी जिसके पास 2000 अंश जिसकी कीमत 100 प्रत्येक अंश है Touchwood फर्मों लिमिटेड़ के हैं। कम्पनी 6 ₹ प्रत्येक अंश से मंगवा चुकी है व प्राप्त कर चुकी है व सुजिव द्वारा 40 प्रत्येक अंश (जो कम्पनी द्वारा अभी तक नहीं मँगवाया गया है) भुगतान भी अग्रिम याचना के रूप में भुगतान कर दिया है। सामान्य सभा के समय पर उसके द्वारा अग्रिम याचना के ऊपर भी मतदान का हक माँगा। संचालक बोर्ड द्वारा उसकी माँग को खारिज कर दिया। वह अपनी अग्रिम याचना के पुनर्भुगतान, ब्याज के साथ की माँग करता है कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के आधार पर सुजिव कि मतदान माँग करता है कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के आधार पर सुजिव कि मतदान माँग व अग्रिम राशि के पुनर्भुगतान की बात की वैधता कि जाँच करें।

12. लोटस वैल लि., होटल शृंखला के उद्देश्य से प्रविवरण जारी करती है, लेकिन बाद में कम्पनी फार्मासीयुटिकल निर्माण इकाई का निश्चय करती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार क्या यह कम्पनी ऐसा कर सकती है यदि हाँ तो प्रविवरण के उद्देश्य में परिवर्तन के लिए प्रयोग कि जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन करें।

13. क्या एक अलाभकारी संस्थान कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत कम्पनी के रूप में पंजीकृत हो सकती है। 'यदि हाँ तो प्रक्रिया का वर्णन करें।'

14. ADJ कम्पनी लि. अपने अंशों को वापस खरीदना चाहती है। कम्पनी के निर्देशक मण्डल को सलाह दीजिये कि वह किन स्त्रोतों से अपने अंश वापस खरीद सकती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अधीन कम्पनी के अंशों की पुनर्खरीद पर क्या शर्त लागू होती है? क्या कोई समय अवधि की सीमा है जिसके भीतर पुनर्खरीद योजना का पूरा किया जाना होता है। व्याख्या करो।

15. कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के आधार पर संचालक मण्डल के निम्न निर्णयों की वैधता की जाँच करे।

(i) एक अंश पूँजी वाली कम्पनी कि वार्षिक साधारण सभा में, 80 सदस्य प्रत्यक्ष रूप से या प्रतिपुरुष के रूप में जिनके पास कुल मतदान का 1/10 मतदान शक्ति है। पोल के लिए माँग करते हैं, सभा का सभापति प्रार्थना को रद्द करता है, क्योंकि उनका कहना है केवल सदस्य जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुऐ हैं पोल के लिए माँग कर सकते हैं।

(ii) वार्षिक साधारण सभा में, पोल की प्रक्रिया के दौरान सदस्य जिन्होंने पूर्व में पोल की माँग करी वह इस माँग को पुनः आहरित करना चाहते हैं, सदस्यों कि इस माँग को को सभापति द्वारा इस आधार पर रद्द कर दी कि एक बार पोल द्वारा मतदान प्रारम्भ हो जाये तो इसे पुनः वापस नहीं किया जा सकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

भाग – B : नीतिशास्त्र (ETHICS)

16. व्यावसायिक नीतिशास्त्र पर उचित ध्यान देना निश्चित रूप से व्यवसाय के व्यापक हित में होता है। व्यावसायिक नीतिशास्त्र को उचित ध्यान ऐसे चार कौन–से लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं तथा विवरण दीजिये।

17. निगमित सामाजिक दायित्व का क्या अर्थ है? इसकी भारतीय व्यापारिक पर्यावरण में क्या आवश्यकता है?

18. आप भेदभाव शब्द का अर्थ समझते हैं, जो कि किसी प्रतिष्ठान में नियुक्त करते वक्त किया जाता है। भेदभाव के मूल तत्व बताइये।

19. (i) पर्यावरण नीतिशास्त्र से क्या अभिप्राय है? पर्यावरण नीतिशास्त्र को अनुमोदित न करने से आप 3P की ओर अग्रसर होते हैं जैसा कि दूषित करने वाला भरता है और सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।

(ii) उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा के सम्बन्ध में केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण (कौंसिल) परिषद् के उद्देश्य क्या हैं?

20. नीतिशास्त्र के मूलभूत सिद्धान्त क्या हैं जो लेखांकन व वित्तीय व्यक्ति पर लागू होते हैं।

भाग – C : संचार (COMMUNICATION)

21. कौन से तत्व अंगूरी रस (अफवाह) फैलाते हैं?

22. "समूह संघर्ष" से आप क्या समझते हैं? इसे कैसे प्रबन्धित करेंगे, समझाइए।

23. एक संस्था में परिवर्तन की स्वीकृति के कारण बताइये।

24. मि. सोमनाथ को लाभांश वारण्ट प्राप्त नहीं हुआ है 1700, कुल 170 अंशों के लिए व Cute Fabrics लि. के अंश है उपर्युक्त। क्षतिपूर्ति बन्धक का ड्राफ्ट तैयार कीजिए, जिसे कम्पनी को लाभांश के लिए देना है।

25. अशोका पेपर लि. जो सितम्बर 2015 में समामेलित हुई थी, अब कम्पनी अपनी प्रथम निदेशक मण्डल की सभा करना चाहती है। उक्त सभा सूचना की तैयारी के लिए ऐजेण्डे के साथ तैयार कीजिए।

उत्तर

1. (a) भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 कि धारा 11 के अनुसार एक व्यक्ति जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है वह कि अनुबन्ध में भाग ले सकते हैं। एक व्यक्ति जिसने 18 वर्ष पूरे कर लिए हैं व वयस्क होगा व अन्य अवयस्क माने जायेंगे अतः विशाल जो अवयस्क है, अनुबन्ध में शामिल नहीं हो सकता है और उसके साथ किया गया कोई भी अनुबन्ध व्यर्थ होगा (Mohari Bibi *vs.* Dhamodas Ghose 1903, 30 Cal, 539 (PC)

© The Institute of Chartered Accountants of India

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 68 के अनुसार "यदि अनुबन्ध करने के अयोग्य किसी व्यक्ति को अथवा उस पर आश्रित किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति उसके जीवन स्तर के अनुसार जीवन की आवश्यक वस्तु की आपूर्त्ति करता है तो वह ऐसे अयोग्य व्यक्ति की सम्पत्ति में से उन वस्तुओं का मूल्य प्राप्त करने का अधिकारी है।" ऐसे अनुबन्ध को अर्द्ध अनुबन्ध कहते हैं और ऋणदाता का अधिकार समता के सिद्धान्त पर आधारित है।

अतः उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, शेखर, विशाल को दिये गये ऋण को उसकी सम्पत्ति को प्राप्त करने का अधिकार रखता है।

(b) पारस्परिक वचनों के संदर्भ में व्याख्या भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 51 से 54 में की गयी है।

सामान्य प्रेक्षण–

एक अनुबन्ध में होते हैं (i) एक कार्य और एक वचन या (ii) दो वचन जिसमें एक–दूसरे के लिए प्रतिफल हैं। दूसरे प्रकार का अनुबन्ध जिसमें दो वचन होते हैं। प्रत्येक का वचन दूसरे पक्षकार के लिए "पारस्परिक वचन" के रूप में जाना जाता है।

पारस्परिक वचनों का निष्पादन भिन्न प्रकार से हो सकता है–

(i) पारस्परिक वचन का साथ–साथ निष्पादन (धारा 51)–

ऐसे मामलों में वचनों का निष्पादन साथ–साथ होता है। शर्त और निष्पादक सहवर्ती होती हैं। यदि एक पक्षकार अपने वचन का निष्पादन नहीं करता हैं तो दूसरे पक्षकार द्वारा अपने वचन का निष्पादन किया जाना आवश्यक नहीं होता।

(ii) ऐसे पारस्परिक वचन का पालन जहाँ उसका क्रम स्पष्ट रूप से नियत है— जहाँ पर निष्पादन का क्रम स्पष्ट रूप से नियत किया गया है वहाँ वचन का निष्पादन उसी क्रमानुसार होना चाहिए।

(iii) पारस्परिक वचन का गर्भित रूप से पालन—जहाँ पर पारस्परिक वचनों का निष्पादन स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं है, कभी–कभी आदेश को गर्भित समझा जाता है।

(iv) एक पक्षकार द्वारा दूसरे को वचन निष्पादन से रोकने का प्रभाव (धारा 53)— जब किसी अनुबन्ध मे पारस्परिक वचन अन्तर्विष्ट हो और अनुबन्ध का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को उसके वचन का पालन करने से रोके तब वह अनुबन्ध इस प्रकार रोके गये पक्षकार के विकल्प पर व्यर्थनीय हो जाता है; और वह किसी भी हानि के लिए अनुबन्ध के पालन न करने के परिणामस्वरूप उसे उठानी पड़े, दूसरे पक्षकार से क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है।

(v) उस वचन में चूक का प्रभाव जिसका पालन पहले किया जाना है :

© The Institute of Chartered Accountants of India

धारा 54 उपबन्धित करती है कि वचन ऐसे हो सकते हैं :

(i) जिनमें से एक का पालन नहीं किया जा सकता

(ii) या, उनके पालन का दावा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक दूसरे का पालन न कर दिया जाए।

(vi) पारस्परिक वचनों के वैध एवं अवैध भागों की स्थिति :

अधिनियम कि धारा 57 उपबन्धित करती है कि यदि पारस्परिक वचन के दो भाग हों जिसका प्रथम भाग विधिक और दूसरा अविधिक हो, तो विधिक भाग एक मान्य अनुबन्ध है और अविधिपूर्ण भाग व्यर्थ होगा।

(vii) **वैकल्पिक वचन जिसका एक भाग अविधिक है –**

"वैकल्पिक वचनों के मामलों में जिसका एक भाग विधिक और दूसरा अविधिक हो तो केवल विधिक भाग का प्रवर्तन कराया जा सकता है।"

2. (a) इस प्रश्न मे पूछी गई समस्या जो कि भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 10 के अन्तर्गत आती है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पार्टियों में एक वैधानिक सम्बन्ध स्थापित करने की मंशा निहित होनी चाहिए। सामाजिक या घरेलू सहमतियों में क्योंकि कोई वैधानिक सम्बन्ध स्थापित करने की भावना नहीं होती है इसलिए वह वैधानिक अनुबन्ध नहीं होते हैं जिन्हें प्रर्वतनीय किया जा सकता है। यह सिद्धान्त बेल्फोर नाम बेल्फोर (1912 2KB 571) के विवाद में स्थापित किया गया हैं।

इस प्रकार इस सिद्धान्त द्वारा जो कि इस विवाद में स्थापित किया गया है बेटा अपने पिता से ₹ 1 लाख की राशि उपर्युक्त कारणों से नहीं उगाह सकता है।

(b) प्रश्न में पूछी गई समस्या भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 215 जिसे धारा 216 के साथ पढ़ा जाये, के प्रावधानों पर आधारित है, दो धाराओं में प्रावधान है कि जब एक एजेन्ट प्रधान की जानकारी के बिना ऐजेन्सी के सौदे में अपने नाम संव्यवहार करता है तो प्रधान :

(i) उस सौदे को रद्द कर दे, यदि उसे लगता है कि एजेन्ट ने बेइमानी से कोई महत्वपूर्ण तथ्य छुपाया है अथवा सौदे से उसे हानि होगी।

(ii) एजेन्ट से उस सौदे में होने वाले लाभ को वसूल कर सकता है। इसलिए उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार श्री यादव, श्री शक्तावत से 12 लाख का लाभ जो श्री शक्तावत ने इस सौदे में कमाया था, वसूल कर सकता है।

3. दिया गया समस्या परक्राम्य विलेख अधिनियम, 1881 की धारा 29 में दिए गये प्रावधानों पर आधारित है। किसी भी मृतक का वैधानिक उत्तराधिकारी जब अपने नाम से किसी विलेख पर हस्ताक्षर करता है, तो उस विलेख में दी गई पूर्ण राशि की देयता के लिए बाध्य होता है, जब तक कि वह विलेख स्पष्ट रूप से अपनी देयता की सीमा वैध नहीं करता है कि उसकी देयता उसके द्वारा प्राप्त की गई सम्पत्ति की सीमा तक ही सीमित होगी (धारा 29)

© The Institute of Chartered Accountants of India

मोहन के पास यह अधिकार है कि वह राम से ₹ 1,50,000 वसूल करे। राम वह राशि देने से इंकार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे मृतक की परिसम्पत्ति का अधिकार वसीयत के रूप में प्राप्त हुआ है। राम की देयता विपत्र की पूर्ण राशि देने कि है, चाहे उस विपत्र की राशि से कम की परिसम्पत्ति वसीयत के रूप में प्राप्त हुई हो। अतः इस मामले में वह ₹ 1,50,000 तक की पूर्ण राशि के लिए उत्तरदायी है।

4. बिना किसी प्रतिफल के आधार पर बनाये गये परक्राम्य विलेखों की समस्याएँ –

परक्राम्य विलेख अधिनियम की धारा 43 में किये गये प्रावधान के अनुसार जो परक्राम्य विलेख बिना किसी प्रतिफल के जारी किये जाते हैं या बनाये जाते हैं। स्वीकार किये जाते हैं, अनुमोदित किये जाते हैं, या हस्तांतरित किये जाते हैं या ऐसे किसी प्रतिफल के आधार पर जारी किये जाते हैं, जिसके फलस्वरूप कोई दायित्व किसी भुगतान करने के लिए बनता है या अन्य पक्षों के लिए ऐसा व्यवहार कोई बाध्यता स्थापित नहीं करता है बनाया जा सकता है, परन्तु यदि कोई पक्ष, जो उस विलेख का पक्ष है उस विलेख को किसी अन्य पक्ष को अनुमोदित करके या बिना किसी अनुमोदन के भी प्रतिफल लेकर किसी धारक को हस्तांतरित कर देता है, तो वह धारक या उसके उपरान्त के सभी धारक, जिन्होंने वह अधिकार मूल धारक से गृहीत किया है वह सभी धारक उस विलेख के धारक से जिसने वह विलेख हस्तांतरित किया है या उससे पूर्ववर्ती पक्षों से उस विलेख में दी गई धनराशि वसूल कर सकता है।

(i) इस प्रश्न में पूछा गया समाधान निम्न रूप में है। A ने विपत्र B पर जारी किया है और B ने उस विपत्र को बिना किसी प्रतिफल पर स्वीकार किया है और B ने उस विपत्र को C को बिना किसी प्रतिफल पर हस्तान्तरित कर दिया है बाद में अंतिम हस्तांतरण C द्वारा D को उस विपत्र के मूल्य पर किया है। उपर्युक्त धारा 43 के प्रावधानों के अनुसार अंत में वह विपत्र D को प्रतिफल के आधार पर हस्तान्तरित किया गया हैं। इसलिए D किसी भी पक्ष A, B या C पर वसूली का द्वारा कर सकता है।

(ii) समस्या के दूसरे भाग की समस्या निम्न है – D से पूर्ववर्ती पक्ष A, B, C की धारा 43 के अनुसार कोई नहीं है कि वह किसी प्रकार की या किसी पक्ष के विरुद्ध कोई चारा कोई करे, क्योंकि जो विपत्र बिना किसी प्रतिफल या दायित्व के आधार बनाया जाता है या स्वीकार किया जाता है या अनुमोदित या हस्तांतरित किया जाता है या ऐसे किसी प्रतिफल के आधार पर बनाया जाता है जो कि असफल हो गया है यह दायित्व तब स्थापित होता है, जब कोई प्रतिफल हो बिना प्रतिफल कोई अधिकार स्थापित नहीं होता है। केवल उस धारक को यह अधिकार मिलता है, जिसने प्रतिफल के आधार पर वह विपत्र प्राप्त किया हो।

5. (i) **एक प्रशिक्षु बोनस पाने का अधिकारी नहीं है। (व्हील रिम कं. *बनाम* तमिलनाडु सरकार (1971))**

(ii) दुर्व्यवहार के कारण काम से हटाया गया कर्मचारी बोनस पाने के अयोग्य है, दुर्व्यवहार में अग्र शामिल होंगे :

© The Institute of Chartered Accountants of India

(a) कपट; या

(b) दंगा करने या उग्रव्यवहार कम्पनी कार्य स्थल परिसर में करने पर;

(c) चोरी, गबन या संस्थान की सम्पत्ति को विध्वंस करने पर;

(iii) एक अस्थायी कर्मचारी उसके द्वारा किये गये कार्य के दिनों की संख्या के आधार पर बोनस पाने का अधिकारी है।

(iv) एक उजरती कर्मचारी अर्थात् किए गए कार्य की मात्रा के अनुपात में मजदूरी प्राप्त करने वाला कर्मचारी बोनस पाने का अधिकारी है। (मथुरादास कानी *बनाम* एल. ए. ट्रिब्यूनल, (1958))

(v) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 कि धारा 2(13) के अनुसार एक व्यक्ति जिसका वेतन ₹ 10,000 प्रत्येक महिने से अधिक है वह कर्मचारी की अर्थ में शामिल नहीं होगा और वह बोनस के लिए भी योग्य नहीं रहेगा।

6. बोनस का भुगतान –

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता इसके लिए बाध्य है कि वह प्रत्येक कर्मचारी को उस लेखा वर्ष के लिए न्यूनतम बोनस जो कि 8.33 % की दर से उस कर्मचारी की उस लेखा वर्ष में दिये गये वेतन या मजदूरी के आधार पर दिया जायेगा या 100 या जो अधिक हो देना होगा। नियोक्ता के पास उस लेखा वर्ष के लिए अभिशेष हो या न हो जहाँ पर किसी कर्मचारी ने लेखा वर्ष के आरम्भ पर 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, तो उसको भी न्यूनतम 8.33 % बोनस देय होगा या ₹ 6 जो भी अधिक देय होगा।

कम्पनी को यदि घाटा भी हुआ हो तो भी न्यूनतम बोनस देना अनिवार्य है आगे अधिनियम की धारा 11 (1) के अनुसार अधिकतम बोनस जो कर्मचारियों को दिया जा सकता है। वह 20% कर्मचारी द्वारा उस लेखा वर्ष में अर्जित वेतन या मजदूरी पर अधिनियम की धारा 17 कम्पनी द्वारा दिये गये किसी भी अन्तिम बोनस से सम्बन्धित है और किसी भी प्रचलित बोनस के दिये जाने पर उसके समाशोधन की आज्ञा देता है। बोनस का भुगतान नियोक्ता द्वारा केवल नकद में दिया जाना अनिवार्य है। इसलिए माँगी गई वैधानिक सलाह अधिनियम में किये गये प्रावधानों के आधार, पर दी जा सकती है।

(a) जहाँ तक न्यूनतम या अधिकतम बोनस का प्रश्न है, तो प्रीसियस वुड़न टोयस, लि. के कर्मचारी न्यूनतम 8.33% बोनस उनके द्वारा किसी भी लेखा वर्ष में अर्जित वेतन या मजदूरी के आधार पर पाने के हकदार हैं। अधिकतम बोनस कर्मचारियों द्वारा उस लेखा वर्ष में अर्जित वेतन या मजदूरी के आधार पर 20% बोनस के हकदार हैं।

(b) पूजा बोनस के समशोधन के नोट में :

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की धारा 17 के अनुसार यदि किसी लेखा वर्ष में कम्पनी ने कर्मचारियों का पूजा बोनस या किसी अन्य प्रचलित बोनस का भुगतान किया है, तो कम्पनी दिये गये बोनस की राशि को उस लेखा वर्ष के देय बोनस की

© The Institute of Chartered Accountants of India

कुल राशि से घटाकर दिये गये बोनस का समाशोधन कर सकती है और कर्मचारी केवल बकाया बोनस राशि की पाने के हकदार होंगे। इसलिए प्रीसियस स्टोन लि. उसके द्वारा पूर्व में दिये गये पूजा बोनस राशि को कुल देय बोनस राशि से हटाकर दिये गये पूजा बोनस का समाशोधन कर सकती है, क्योंकि कर्मचारी केवल बकाया बोनस राशि को पाने के हकदार हैं।

(c) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अनुसार नियोक्ता द्वारा बोनस का भुगतान केवल नकद में किया जा सकता है। इसलिए बोनस के रूप में लकड़ी के खिलौने नहीं दे सकती है। वह बोनस का भुगतान केवल नकद में ही कर सकती है क्योंकि यह कानूनी रूप से आवश्यक है।

7. कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान :

कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 6 नियोक्ता एवं कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम में किये जाने वाले योगदान को नियमित करती है। नियोक्तास का योगदान कर्मचारी के मूल वेतन, उस पर देय मंहगाई भत्ता तथा यदि कोई उस को सेवारत रखने का कोई भत्ता दिया जाता है के कुल योग पर 10% होगा कर्मचारी द्वारा योगदान उसके नियोक्ता द्वारा किये जा रहे योगदान के बराबर होगी।

कर्मचारी यदि चाहे तो वह 10% अधिक योगदान कर सकता है पर उसका नियोक्ता 10% से अधिक योगदान करने के लिए किसी प्रकार से बाध्य नहीं है।

महँगाई भत्ते में कर्मचारियों को दिये जाने वाली खाने की छूट भी समाहित होगी। सेवारत रखने के भत्ते का अर्थ है कि वह भत्ता जो कि कर्मचारी का फैक्टरी न चलते हुए सेवा में रखने के लिए दिया जाता है। केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियोक्ता का योगदान कुछ प्रतिष्ठानों या उस श्रेणी के प्रतिष्ठानों में 12 प्रतिशत कर सकती है।

8. एक कर्मचारी के नाम भविष्य निधि में जमा धनराशि का कुर्की के विरुद्ध संरक्षण–

कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 10 के अनुसार किसी सदस्य की भविष्य निधि में जमा धन राशि किसी भी तरीके से हस्तान्तरित, अभिहस्तांतरित अथवा न्यायालय द्वारा कुर्क नहीं की जा सकती है प्रेसीडेन्सी नगर दिवाला अधिनियम, 1909 के अधिन नियुक्त सरकारी समनुदेशिती अथवा प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 192 के अधिन नियुक्त रिसीवर न तो उसका हकदार होगा और न ही कोई दावा प्रस्तुत कर सकेगा।

भविष्य निधि के सदस्य की मृत्यु होने पर उसके निधि फण्ड में जमा राशि उसके द्वारा नामित व्यक्ति में निहित हो जाती है तथा यह मृतक द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा मृत्यु से पहले लिए गये किसी ऋण अथवा दायित्व से मुक्त होती है। यह न्यायालय के आदेश के द्वारा कुर्क भी नहीं कि जा सकती।

9. उपादान अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत नामांकन के प्रावधान –

(i) एक या एक से अधिक परिवार सदस्यों का नामांकन –

© The Institute of Chartered Accountants of India

यदि कर्मचारी के पास नामांकन के समय परिवार है तो, नामांकन एक या एक से अधिक परिवार के सदस्य के लिए नामांकन किया जा सकता है ऐसे व्यक्ति के लिए नामांकन जो परिवार का सदस्य नहीं है व्यर्थ होगा, अतः उपर्युक्त मामले में R द्वारा मित्र का नामांकन व्यर्थ है।

(ii) **ऐसा व्यक्ति जिसके पास परिवार नहीं है द्वारा नामांकन –**

कोई कर्मचारी जिसके पास अभी परिवार नहीं है तो वह कर्मचारी किसी भी व्यक्ति के पक्ष में नामांकन करवा सकता है, लेकिन बाद में कर्मचारी द्वारा परिवार शामिल करने पर वह नामांकन व्यर्थ हो जायेगा व कर्मचारी को निर्धारित समय में अपने परिवार के एक या अधिक सदस्यों के पक्ष में नामांकन करवाना होगा अतः S द्वारा उपर्युक्त मामले में किया नामांकन व्यर्थ है, उसे अपने परिवार के सदस्य को इस उद्देश्य से अर्थात् ग्रेच्युटी के लिए नामांकित करना होगा।

10. ग्रेच्युटी का हरण व कमी :

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 4 (6) (a) के अनुसार यदि कोई कर्मचारी अपने नियोक्ता की सम्पत्ति जानबूझकर गलती करके या लापरवाही करके कोई हानि या क्षति पहुंचाता है तो उसके द्वारा पहुँचाए गये नुकसान क्षतिपूर्ति के लिए उसकी देय ग्रेच्युटी राशि को जब्त कर लिया जाएगा तथा उससे केवल उसकी बकाया ग्रेच्युटी राशि का ही भुगतान किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त धारा 4 (6) (b), ग्रेच्युटी जो कर्मचारी को देय है पूर्ण या आंशिक जब्त कि जा सकती है, जहाँ उसकी सेवा निम्न कारणों से निरस्त कि हो :

(i) दुर्व्यवहार या हिंसा का कोई काम किया हो

(ii) या ऐसा अपराध जो कि चरित्र पतन का अपराध है जो वह सेवा के समय करता है चोरी करना चरित्र पतन का अपराध है और यदि किसी कर्मचारी के सेवा के दौरान चोरी करने के अपराध के लिए निरस्त की जाती है तो उसकी सारी राशि जब्त की जा सकती है धारा 4(6) (b) (ii) भारत गोल्ड माईनस लि. बनाम रीजनल लेबर कमिश्नर (केन्द्रीय 1987 एफ. जे. आर.। (कर्नाटक)

11. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 50 के अनुसार यदि कम्पनी अपने अन्तर्नियम द्वारा अधिकृत है तो ये अंशधारियों से अग्रिम में याचना स्वीकार कर सकती है, यद्यपि कम्पनी द्वारा कोई याचना इस सम्बन्ध में न की गई हो।

इस प्रकार से प्राप्त राशि या स्वीकृत राशि को याचना का अग्रिम में भुगतान कहते हैं जब कम्पनी याचना राशि अग्रिम में प्राप्त करती है तो अंशधारियों के अधिकार व दायित्व इस प्रकार होंगे।

(i) अंशधारी को इस प्रकार अग्रिम भुगतान की गई राशि के सम्बन्ध में तब तक कोई मताधिकार प्राप्त नहीं होगा, जब तक यह राशि वैध याचना द्वारा देय न हो जाये [धारा 50 (2)]

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii) ऐसी याचना के सम्बन्ध में जिसके लिए राशि का भुगतान कर दिया गया हो, कम्पनी के प्रति अंशधारियों के दायित्व समाप्त हो जाते हैं।

(iii) अंशधारी अग्रिम भुगतान की राशि पर अन्तर्नियमों, के अनुसार देय राशि की सीमा तक ब्याज का दावा करने का हक रखते हैं यदि कोई लाभ नहीं हुआ है तो पूँजी में से इसका भुगतान किया जाना चाहिए।

क्योंकि इस राशि के लिए अंशधारी कम्पनी का लेनदार बन जाता है।

(iv) अग्रिम में प्राप्त हुई याचना की राशि वापस नहीं कि जा सकती है।

(v) समाज कि स्थिति में ऐसे अंशधारी का नम्बर लेनदारों का भुगतान करने के बाद आता है, परन्तु अन्य अंशधारियों को भुगतान करने में पहले, उसे ब्याज सहित यदि कोई हो, उसकी अग्रिम राशि का भुगतान कर दिया जाना चाहिए।

(vi) याचना का अग्रिम में भुगतान प्राप्त करने के अधिकार का उपयोग सामान्य हित में और कम्पनी के हित में किया जाना चाहिए। अतः उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार :

(a) सजिव द्वारा अग्रिम भुगतान पर मतदान का अधिकार नहीं है जब तक की याचना राशि देय नहीं हो जाये।

(b) अग्रिम याचना पुनर्भुगतान योग्य नहीं है लेकिन सजिव ब्याज के लिए वाद कर सकता है जिसकी सीमा अन्तर्नियमों के अनुसार निर्धारित होगी। यदि यहाँ लाभ नहीं होता है तो वे पूंजी में से भुगतान होगा क्योंकि अंशधारक इस राशि के लिए लेनदार बन जाते हैं।

12. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 27 के अनुसार लोटस वेले लिमिटेड ऐसे अनुबन्धों की शर्तों में जिनका कि संदर्भ प्रविवरण में किया गया है धारा 27 अनुबंध की शर्तों व उद्देश्यों में परिवर्तन से सम्बन्धित है –

प्रविवरण में लिखित उद्देश्य को लोटस् वैले लि. निम्न तरिके से/प्रक्रिया से बदल सकती है।

(1) **विशेष प्रस्ताव द्वारा परिवर्तन –**

कोई कम्पनी किसी भी समय प्रविवरण में संदर्भित अनुबन्धों की शर्तों अथवा प्रविवरण निर्गमन के उद्देश्यों में कोई परिवर्तन नहीं करेगी सिवाय विशेष प्रस्ताव द्वारा।

(2) **प्रस्ताव का नोटिस अंशधारियों का देना –**

ऐसे प्रस्ताव के विवरणों के सम्बन्ध में नोटिस अंशधारियों के साथ–साथ समाचार –पत्रों में भी प्रकाशित किया जायेगा (एक अंग्रेजी और एक स्थानीय भाषा में) जहाँ कि कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, जिसमें स्पष्टतः ऐसे परिवर्तन का औचित्य प्रकट किया जायेगा। साथ ही कम्पनी प्रविवरण के माध्यम से एकत्रित की गई किसी भी राशि का प्रयोग किसी अन्य सूचीकृत कम्पनी के अंशों के क्रय उसमें व्यापार अथवा किसी भी प्रकार के व्यवहार में नहीं करेगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(3) **असहमत अंशधारियों को निकासी का प्रस्ताव –**

अनुबन्धों की शर्तों एवं प्रविवरण निर्गमन के उद्देश्यों में परिवर्तन के प्रस्ताव से असहमत सदस्यों की एक निकासी मार्ग के प्रवर्तकों अथवा नियंत्रण अंशधारियों द्वारा ऐसे मूल्य पर दिया जायेगा और ऐसी विधि से दिया जायेगा जिसको SEBI इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट करें।

अतः लोटस वैले लि. प्रविवरण में लिखे उद्देश्य को उपर्युक्त प्रक्रिया से परिवर्तित कर सकते हैं।

13. अलाभकारी संस्था को कम्पनी के रूप में पंजीकृत कराने की विधि :

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8(1) के अनुसार सरकार किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों के संगठन को कम्पनी के रूप में कम्पनी अधिनियम, 2013 में पंजीकृत होने का आदेश दे सकती है, अगर यह वाणिज्य, कला, विज्ञान, धर्म, पुण्यार्थ अथवा अन्य कोई लाभदायक उद्देश्य के उत्थान के लिए कोई संस्था बनानी है तथा इसके लाभ तथा अन्य आय को इसके उद्देश्यों के उत्थान में लगाना है तो ऐसे व्यक्तियों के संघ को कम्पनी अधिनियम के अधीन कम्पनी की तरह पंजीकृत किया जा सकता है। किन्तु ऐसी कम्पनी अपने लाभ तथा आय को अपने सदस्यों मे नहीं बाँट सकती।

पंजीकरण की विधि :

व्यक्तियों का संघ जो धारा 8(1) के अन्तर्गत गतिविधियों को करने का इरादा रखता है, उन्हें केन्द्रीय सरकार से कम्पनी के रूप में पंजीकृत होने के लिए अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी। केन्द्रीय सरकार अगर सन्तुष्ट है तो वह लाइसेन्स जारी कर सकती है उन शर्तों एवं नियमों के आधार पर। इस लाइसेन्स के द्वारा केन्द्र सरकार एसोसिएशसन को यह अनुमति दे सकती है कि एसोसिएशन को सीमित दायित्व वाली कम्पनी बिना लि. अथवा प्राइवेट लिमिटेड शब्द अपने नाम के अन्त में लगाए बिना पंजीकृत हो सकती है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा लाइसेन्स जारी करने के पश्चात् रजिस्ट्रार को निर्धारित फार्म पर आवेदन किया जाएगा। इसके पश्चात् रजिस्ट्रार व्यक्तियों के संगठन को धारा 8(2) में कम्पनी के रूप में पंजीकृत करेगा। धारा 8(2) के अनुसार कम्पनी जो धारा 8(2) में पंजीकृत है वह उन सभी सुविधाओं एवं दायित्वों का पालन करेगी जो प्राइवेट लि. कम्पनी को करनी पड़ती हैं।

यह लाइसेन्स केन्द्र सरकार द्वारा रद्द किया जा सकता है तथा रद्द होने पर रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर में कम्पनी के नाम के पीछे लि. अथवा प्राइवेट लि. (जैसा भी उपयुक्त हो) शब्द जोड़ देगा।

लेकिन केन्द्र सरकार लाइसेन्स रद्द करने से पहले अपने इस आशय का कि यह लाइसेन्स रद्द करना चाहती है एक लिखित सूचना कम्पनी को भेजेगी तथा कम्पनी को मामले की सुनवाई का उचित अवसर देगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

14. अंशों की पुनः खरीद के स्त्रोत एवं शर्तें –

कम्पनी अधिनियम, 2013 कि धारा 68(1) के प्रावधानों के अनुसार जो कम्पनी अपने अंशों की पुनः खरीद करना चाहती है को ऐसे अंशों को पुनर्खरीद को निम्न स्त्रोत से करना चाहिए।

1. कम्पनी के अपने मुक्त कोष से, और
2. कम्पनी की प्रतिभूति अधिमान खाते से; और
3. किन्हीं निर्धारित प्रतिभूतियों या हिस्सेदारी की प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त हुई राशि से।

लेकिन कोई भी प्रक्रिया किसी भी प्रकार के अंशों या अन्य निर्धारित प्रतिभूतियों का क्रय किसी भी पूर्व निर्गमन जो उसी प्रकार के अंशों का हो या उसी प्रकार की निर्धारित प्रतिभूतियों का हीं, नहीं किया जायेगा।

शर्तें धारा 68(2) :

1. ऐसा पुनः खरीद कम्पनी के अंतर्नियमों से अधिकृत होनी चाहिए।
2. कम्पनी की आम सभा में एक विशेष प्रस्ताव पुनः क्रय को अधिकृत करने हेतु पारित किया गया हो।
3. पुनः क्रय कम्पनी की सकल प्रदत्त अंशपूँजी तथा मुक्त कोष के 25% से कम है। पुनः क्रय लेकिन किसी भी वित्तीय वर्ष में कम्पनी की सकल प्रदत्त अंश पूँजी के 25% से अधिक नहीं हो सकता है। हालांकि धारा 68(2) ने पुनर्खरीद को निदेशक मण्डल की बैठक में एक प्रस्ताव पारित करके, को अधिकृत किया है पर इस पर शर्त यह लगायी गई है कि ऐसी पुनर्खरीद कम्पनी की सकल प्रदत्त अंश पूंजी तथा मुक्त कोष के 10% से अधिक नहीं होगा, लेकिन 365 दिनों की अवधि में एक से अधिक पुनर्खरीद नहीं की जा सकती है।
4. कम्पनी द्वारा लिये गये कर्ज का अनुपात कम्पनी की अंशपूँजी तथा मुक्त कोष ऐसी पुनर्खरीद के बाद दो गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन केन्द्रीय सरकार यदि चाहे तो इससे अधिक अनुपात किसी श्रेणी या श्रेणियों की कम्पनियों के लिए निर्धारित कर सकती है।
5. सभी अंश या अन्य प्रतिभूतियां पूर्ण तथा प्रदत्त है।
6. सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद सेबी द्वारा इसके लिए बनाये गये नियमों के अनुरूप है।
7. वाक्यांश (6) में वर्णित प्रतिभूतियों के अतिरिक्त अंशों या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में स्वयं क्रय उन दिशा निर्देश के अनुरूप है जिसको निर्धारित किया जा सके।

© The Institute of Chartered Accountants of India

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 68 (3) के अनुसार उस सभा का नोटिस जिसमें विशेष प्रस्ताव पास किया जाना है, निम्न का वर्णन करते हुए एक व्याख्यात्मक विवरण के साथ संलग्न किया जायेगा।

(a) सभी साखान तथ्यों का पूर्ण तथा व्यापक विवेचन;

(b) बाय – बैंक की आवश्यकता;

(c) बाय बैंक के अन्तर्गत खरीदी जाने के लिए अपेक्षित प्रतिभूति की श्रेणी;

(d) बाय – बैंक में निवेश कि जाने वाली राशि;

(e) बाय – बैंक को पूरा किये जाने की समय – सीमा।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 68(4) के अनुसार प्रत्येक बाय – बैंक सदस्यों द्वारा विशेष प्रस्ताव एवं बोर्ड द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन की तिथि से 12 माह के अन्दर पूरा कर लिया जायेगा।

जहाँ बाय – बैंक कम्पनी की कुल चुकता अंश पूंजी एवं स्वतंत्र संचय योग के 10% बराबर हो।

धारा 68(5) क अनुसार कम्पनी को अपने निजी अंशों या व्यक्त प्रतिभूतियों के बाय बैंक के लिए स्वयं क्रय करने से पूर्व उसको रजिस्ट्रार तथा सेबी के पास एक शोधन क्षमता की घोषणा निर्धारित रूप में फाइल करनी होगी जो कि कम से कम निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

जिसमें से एक प्रबन्धकीय निदेशक होगा। यह बाय – बैंक से पूर्व दाखिल किया जायेगा अंश क्रय करने कि प्रक्रिया :

1. खरीदी गई प्रतिभूतियाँ क्रय की तिथि से 7 दिन के अन्दर भौतिक रूप से नष्ट होनी चाहिए

2. अंश वापस खरीदने की क्रिया पूर्ण हो जाने के बाद से 24 महीने से पहले उसी प्रकार के अतिरिक्त अंशों को जारी नहीं किया जा सकता। सदस्यों द्वारा त्याग किये गये अंशों के आबंटन की भी अनुमति नहीं है। किन्तु निम्न अंश निर्गमित किये जा सकते हैं :

   (i) खरीदे गये अंशों के अतिरिक्त अन्य अंश जारी किये जा सकते हैं;

   (ii) बोनस अंश ;

   (iii) वर्तमान देयता; जैसे वारण्टों का परिवर्तन ;

   (iv) कर्मचारियों की स्टॉक विकल्प योजनाएँ ;

   (v) श्रम साध्य ;

   (vi) पूर्वाधिकार अथवा ऋणपत्रों का समता अंशों में परिवर्तन ;

© The Institute of Chartered Accountants of India

3. जहाँ कोई कम्पनी इस धारा के अन्तर्गत अपनी प्रतिभूतियों का क्रय करती है तो उसको इस प्रकार खरीदी गई प्रतिभूतियों का एक रजिस्टर रखना होगा जिसमें खरीदी गई प्रतिभूतियाँ के लिए दिया गया प्रतिफल/प्रतिभूतियों के निरस्तीकरण की तिथि/प्रतिभूतियों का समापन तथा भौतिक तौर पर विनाश की तिथि एवं अन्य निर्धारण विवरण, देना होगा [धारा 68(9)]

4. अंश क्रय करने की क्रिया समाप्त होने के बाद रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, सेबी (यदि कम्पनी सूचिबद्ध है) के यहां 30 दिन के अन्दर निर्धारित विवरण दाखिल करना होगा। धारा 68(10)

5. यदि अंश कोष में से खरीदे गये हैं तो खरीदे गये अंशों के अंकित मूल्य के बराबर राशि धारा 80 के अनुसार पूँजी शोधन संचय खाते में हस्तान्तरित की जायेगी। ऐसे हस्तान्तरण के विवरण कम्पनी के स्थिति विवरण में स्पष्ट किये जाऐंगे। (धारा 69(1))

15. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 109 बताती है कि मतदान के लिए माँग, परिणाम के घोषित होने अथवा उससे पूर्व की जा सकती है जब कोई प्रस्ताव पर मत हाथ उठाकर प्रदर्शित किया गया हो। तदनुसार विधान में उल्लेखित है –

सभा के अध्यक्ष द्वारा मतदान की माँग पर आदेश – किसी प्रस्ताव पर हाथ उठाकर हुए मतदान के परिणाम की घोषणा करने अथवा उससे पूर्व, अध्यक्ष द्वारा मतदान कराने का आदेश दिया जा सकता है जो इस सम्बन्ध में की गयी माँग के कारण अथवा स्वयं के मंतव्य पर आधारित हो सकता है:–

(a) यदि कम्पनी अंश पूँजी धारण करती है – सभा में व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रॉक्सी द्वारा (यदि स्वीकृत हो) जिनके पास कुल मताधिकार का न्यूनतम दसवां भाग (1/10) हो अथवा इतने अंश धारण करते हैं कि उनका सकल अंकित मूल्य 5 लाख से कम नहीं हो अथवा ऐसी उच्चतर राशि जैसी निर्धारित की जाए, दत्त है; एवं

(b) अन्य कम्पनी के मामले में – व्यक्तिगत रूप से उपस्थित सदस्यों अथवा प्रॉक्सी (यदि स्वीकृत हो) जिनके पास कुल मताधिकार का दसवाँ भाग हो।

माँग की वापसी – मतदान के लिए माँग किसी भी समय उन व्यक्तियों द्वारा वापस ली जा सकती है, जिन्होंने माँग की थी।

अतः उपर्युक्त प्रावधान के आधार पर :

(i) यदि अन्तर्नियम में अधिकृत है तो सभापति मतदान की माँग को रद्द नहीं कर सकता है।

(ii) सभापति माँग कि वापसी कि प्रार्थना को भी रद्द नहीं कर सकता है।

16. वह लाभ जो कि व्यावसायिक नीतिशास्त्र पर ध्यान देकर उठाये जा सकते हैं – नीतिशास्त्र अच्छे व्यवहार के प्रति चिन्ता होना होता है व्यापार में ठीक रूप से ठीक काम करना होता है स्वयं का हित हमेशा आगे रहता है इसलिए व्यापार और नीतिशास्त्र में अन्तर और

© The Institute of Chartered Accountants of India

मतभेद हो जाता है पर यह निश्चित रूप से स्थापित सिद्धान्त है कि नीतियुक्त व्यवहार सकारात्मक प्रतिष्ठा उत्पन्न करता है जिससे लाभ कमाने के अवसर अधिक हो जाते हैं किसी संगठन के उत्पादों तथा सेवाओं और उस संगठन के कर्मचारियों के कार्यकलाप उस संगठन के हित धारकों तथा समाज को पूर्णतया प्रभावित करते हैं इसलिए व्यावसायिक नीतिशास्त्र की ओर उचित ध्यान करना व्यापार के लिए लाभदायी तथा हितकारी हो सकता है। इन लाभों को निम्न रूप से जाना जा सकता है –

1. पूर्वकाल में बच्चों और कर्मचारियों का शोषण किया जाय, बाजार पर न्यासी नियन्त्रण, कर्मचारियों को व्यक्तिगत कारणों से तथा अन्य व्याकरणों से सेवा मुक्त करना से समाज पर बहुत प्रभाव पड़ा है और इसके कारण यह मांग जोर पकड़ गयी कि और नीतिशास्त्र को बहुत उच्च मूल्य दिया जाने लगा, तथा निष्पक्षता तथा समान अधिकारी की मांग भी बढ़ने लगी जिसके फलस्वरूप न्यासी के विरुद्ध कानून बनाये गये और सरकारी नियमन एजेन्सी का गठन होने लगा तथा श्रम संगठनों को मान्यता दी जाने लगी।

2. परिवर्तन प्रबन्धन में आसानी –

   व्यावसायिक नीतिशास्त्र की ओर ध्यान देना उस समय बहुत आवश्यक और लाभकारी होता है जब कोई मूलभूत परिवर्तन किया जाता है। स्पष्ट रूप से संचय पूर्ण विचार की संगठन लाभ के लिए नहीं या लाभ के लिए है। ऐसा विषय है जिसमें नीतिशास्त्र निर्णय लेने में सहायक होता है ऐसी परिस्थितियों में कोई नैतिक मापदण्ड तो उपलब्ध होता नहीं है जो कि नेतृत्व करने वालों को यह बता सके की क्या ठीक है या क्या गलत है। नीतिशास्त्र की ओर निरन्तर ध्यान करते रहने से कार्यस्थल पर कार्यरत नेतृत्व तथा कर्मचारियों को अपने कार्य में निरन्तरता बनाये रखने के लिए प्रेरित करता रहता है।

3. सुदृढ़ टीम कार्य और अधिक उत्पादकता – नीतिशास्त्र की तरफ ध्यान देने से और कर्मचारियों से नीतिशास्त्र का वार्तालाप करने से खुलापन बढ़ता है उससे कर्तव्य निष्ठा तथा सामाजिक एवं सामूहिक सोदाहरण बढ़ता है जो कि कर्मचारियों में एक सशक्त गठबन्धन कर्मचारी और संगठन को और कर्मियों को प्रोत्साहित करता है कि वह उत्तम प्रदर्शन करें।

4. बढ़ती हुई कर्मचारी समझ –

   नीतिशास्त्र को और कार्य स्थल पर उचित ध्यान देने से कर्मचारियों में वास्तविकता को समझने और उसका सामना करने की शक्ति में वृद्धि होती है और वह संगठन की अच्छाई या बुराई को समझ जाते हैं और उनमें कार्यस्थल पर कठिन और पेचीदा कार्यों को करने का आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाता है।

5. नीतिशास्त्र से प्रेरित कार्य को इसको सुनिश्चित बनाते हैं कि कर्मचारी नीतियाँ वैधानिक हों – कर्मचारी नीति का मुख्य उद्देश्य होता है कि कर्मचारियों के साथ नीतियुक्त व्यवहार किया जाये कर्मचारियों को नौकरी पर रखने, उनका मूल्यांकन करना, उन्हें अनुशासित करना या उनको सेवा मुक्त करना न्याय संगत होना चाहिए

© The Institute of Chartered Accountants of India

किसी भी नियोक्ता को उसके द्वारा किये गये किसी भी अनुबन्ध का उल्लंघन करने के लिए या उस द्वारा किये गये किसी वायदे से पलट जाता है तो उसके विरुद्ध दावा किया जा सकता है। निगमित संस्कृति एवं वास्तविक कार्यकलापों के महत्वपूर्ण वैधानिक एवं नीतिशास्त्र सम्बन्धी प्रभाव होते हैं। नीतिशास्त्र की और ध्यान देने से उच्चतर नीति समंत नीतियाँ तथा प्रक्रियाएँ कार्यस्थल पर अपनाई जाती है। नीतिशास्त्र जनित प्रबन्ध कार्यकलाप विभिन्नता का प्रबन्ध करने के लिए उपयोगी होते हैं ऐसे सभी कार्यकलाप विभिन्न मूल्यों को मान्यता देने में और उन्हें लागू करने के लिए अपेक्षित होते हैं और उन विचारों के लिए जिनके आधार पर परिपक्व नीतिशास्त्र प्रेरित प्रबन्ध कार्यों का प्रतिपादन किया जाता है।

6. नीतिशास्त्र कार्यकलाप नीतिशास्त्र सम्बन्धी विषयों और उनके उल्लंघन को समय पर पहचानने में सहायक होते हैं ताकि मूल से किये जाने आपराधिक कृत्यों को समय से पूर्व रोका जा सके।

7. नीतिशास्त्र प्रेरित मूल्य गुणवत्ता प्रबन्धन सम्बन्धी मूल्यों को तथा नीतिगत योजना और विभिन्नता प्रबन्धन में सहायक होते हैं।

17. निगमित सामाजिक दायित्व इस बात पर जोर देता है कि एक व्यवसाय का लाभ कमाने के अतिरिक्त सामाजिक उत्तरदायित्व भी है।

यह कम्पनियों का उत्तरदायित्व है कि वे समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालें। व्यवसाय सामाजिक उत्तरदायित्व के द्वारा एक तरफ आर्थिक, पर्यावरण तथा सामाजिक उद्देश्यों में सामंजस्य बनाए रखता है तथा दूसरी ओर हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने तथा अंशधारियों के मूल्यों में वृद्धि करता है। सभी हितधारक – अंशधारी, विश्लेषक, नियामक, श्रम संगठन, कर्मचारी, जनसंस्थाएँ, समाचार माध्यम आदि आशा करते हैं कि कम्पनियां न केवल अपने कार्यों के लिए उत्तर दे ही हैं, बल्कि अपनी सारी आपूर्ति श्रृंखला के कार्यों के लिए उत्तर देही हैं। औद्योगिक शान्ति, पोषणीय विकास, सुरक्षा, गरीबी, उन्मूलन, पर्यावरणीय गुणवत्ता और मानवाधिकार आदि जैसे मुद्दे व्यापार तथा इसके पर्यावरण को गम्भीर रूप से प्रभावित करते हैं।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यवसाय द्वारा इस बात का लगातार आश्वासन है कि व्यापार नैतिक रूप से कार्य करेगा तथा कर्मगारों का उनके परिवारजनों, स्थानीय समुदाय तथा समस्त समाज का जीवन स्तर ऊँचा करने का प्रयास करेगा।

सामाजिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता

1. उत्तरदायित्व का कठोर नियम;
2. दीर्घकालीन – स्वयंहित की पूर्ति;
3. अच्छी जन–छवि की स्थापना;
4. सरकारी नियमन तथा नियंत्रण को कम करना;
5. राष्ट्रीय संसाधनों तथा आर्थिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकना;

© The Institute of Chartered Accountants of India

6. कमियों को साधनों में परिवर्तित करना;

7. पर्यावरणीय हानि को कम करना।

18. भेदभाव का मूल अर्थ होता है एक वस्तु को दूसरी समान वस्तु को भेदभाव पूर्ण भाव से देखना या मानना नियुक्ति भेदभाव का अर्थ है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को आयु, लिंग, जाति, धर्म या अन्य आरक्षित श्रेणी या सामाजिक स्थान के आधार पर भेदभाव करना। नियुक्ति में भेदभाव करना गलत है, क्योंकि यह समानता के मूल सिद्धान्तों के विरुद्ध होता है भेदभाव का अर्थ है लोगों के बीच भेदभाव करना यह सामान्यतः इसलिए किया जाता है किसी गलत कारण से किसी अन्य व्यक्ति को योग्यता से अन्य आधार पर लाभ दिया जा सके भेदभाव के तत्व सामान्यतः भेदभाव का अर्थ होता है कि एक वस्तु को किसी अन्य वस्तु के मित्र आधार पर देखना या मानना या लोगों को भिन्नता के आधार पर देखना यह सामान्यतः इस इच्छा से किया जाता है कि किसी गलत रूप से लाभ पहुँचाने के लिए किया जाता है न कि व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर ऐसा भेदभाव व्यापारिक प्रतिष्ठानों में नियुक्ति प्रदान करते समय भी किया जा सकता है। तत्व जिनसे भेदभाव उत्पन्न किया जाता है। यह निम्न होते हैं –

(i) यदि कोई निर्णय एक कर्मचारी या एक से अधिक व्यक्तियों के प्रति किया जाता है और ऐसा निर्णय व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित नहीं है, यह योग्यता कि वह व्यक्ति उस कार्य को कर सकता है या नहीं या उसकी वरिष्ठता या अन्य नीतिशास्त्र समस्त वैधानिक योग्यता पर आधारित नहीं है।

(ii) यदि लिया गया निर्णय मुख्य रूप से जाति या लिंग भेद पर आधारित है या उसी प्रकार झूठ या अन्य प्रकार के नैतिक रूप से अनुचित धारणा उन लोगों के बारे में जिनमें से वह कर्मचारी आता है।

(iii) यदि ऐसे निर्णय का कर्मचारियों के हितों के दुष्प्रभावी या नकारात्मक प्रभाव डालता है जिसमें उनकी नौकरी जा सकती है या उनकी उन्नति रुक सकती है या उनके वेतन को प्रभावित करता है। नौकरी में भेदभाव गलत होता है, क्योंकि यह न्याय के मूल सिद्धान्त का उल्लंघन करता है, क्योंकि लोगों के बीच जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। विशेषकर यदि वह उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों से सम्बन्धित नहीं है। इन व्ययों को ध्यान में रखते हुए इससे सम्बन्धित विधान में भी परिवर्तन किया जाता है, ताकि ऐसा विधान नैतिक अपेक्षाओं को पूरा करे और नौकरी में कम–से–कम भेदभाव हो सके।

19. (a) पर्यावरण नीतिशास्त्र इस विचार पर आधारित है कि वातावरण की केवल इसलिए रक्षा नहीं की जानी चाहिए की वह मानव का हित कर सके, बल्कि उसकी रक्षा केवल अच्छे पर्यावरण के लिए की जानी चाहिए। पर्यावरण नीतिशास्त्र का विषय विस्तार केवल पर्यावरण की रक्षा या प्रकृति की रक्षा ताकि वह प्रदूषण या संसाधनों का उपयोग या कचरे का निपटान तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि उससे बहुत आगे तक होता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

उद्योग एवं व्यापार संसाधनों के उपयोग और पर्यावरण दोनों से ही सम्बन्धित है इसलिए व्यापार उद्योग और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को वातावरण। पर्यावरण प्रबन्धन का महत्व समझना और पहचानना चाहिए और स्थिर विकास के लिए इसे प्राथमिकता के आधार पर अपनाना चाहिए। कचरे का समर्थ प्रबन्धन आज के पर्यावरण समस्याओं के समाधान के लिए इसलिये आवश्यक है कि पृथ्वी के पर्यावरण को ऐसे उचित तरीके से बनाया और रखा जाये ताकि स्थाई विकास के उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

यदि पर्यावरण पर आने वाली लागत माल और सेवाओं में दिखाया जाये तो कम्पनियाँ और ग्राहक दोनों ही अपने बाजार व्यवहार को इस प्रकार से अपना लेंगे जिससे वातावरण को क्षति, प्रदूषण और कचरे का उत्पादन कम हो जायेगा।

मूल्य संकेत से प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन और उपयोग पर भी अंकुश लगायेगा। यह उपाय प्रदूषणकर्ता मूल्य चुकाने के सिद्धान्त को फैलाने में सहायक हो जायेगा।

(b) केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण (कौंसिल) परिषद् का उद्देश्य उपभोक्ता के हितों का संवर्धन एवं संरक्षण करना है विशेष रूप में निम्न विषयों में :

(i) उन वस्तुओं के विपणन तथा उन सेवाओं के विपणन जोकि जीवन तथा सम्पत्ति के लिए जोखिम दायक है को रोकना तथा उपभोक्ताओं के अधिकारी की रक्षा करना।

(ii) उपभोक्ता के इस अधिकार की रक्षा करना कि उसे उत्पाद की गुणवत्ता, संख्या या तोल, उस उत्पाद की क्षमता, शुद्धता तथा मानक तथा उत्पाद या सेवा के मूल्य को बताया जाये ताकि उपभोक्ता को अनुचित व्यापारिक चलन से बचाया जा सके।

(iii) उपभोक्ता के इस अधिकार की रक्षा करना कि वह अस्वस्थ हो सके या जो सम्भव हो, विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं तक उसकी पहुँच के अधिकार की रक्षा करना तथा ऐसे उत्पादों तथा सेवाओं को प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्य पर उसे उपलब्ध करवाना।

(iv) उपभोक्ता की सुनवाई की जायेगी और उसे यह आश्वासन प्रदान करना कि उपभोक्ता के हितों की रक्षा की जायेगी तथा उसकी शिकायत पर उचित स्तर पर निपटारा किया जायेगा।

(v) अनुचित व्यापारिक, अभ्यासों को उसकी शिकायत का निपटारा करवाने का अधिकार।

(vi) उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार।

20. नीतिगत आचरण के सिद्धान्त :

नीतिगत आचरण के कुछ आधारभूत सिद्धान्तों के विश्लेषण जो एक लेखांकन व वित्तिय व्यवसायों पर लागू होते हैं।

© The Institute of Chartered Accountants of India

1. **ईमानदारी का सिद्धान्त**–ईमानदारी का अर्थ "सत्यनिष्ठा" इस सिद्धान्त के अनुसार लेखा एवं वित्त व्यवसायी को अपने दायित्वों का निर्वाह करते समय ईमानदारी और स्पष्टवादिता के सिद्धान्त के साथ विश्लेषण करना चाहिए।

2. **वस्तुनिष्ठता का सिद्धान्त**–यह सिद्धान्त लेखा एवं वित्त व्यावसायिकों को उनके वृत्तिक एवं वित्तीय निर्णयों के प्रति अविचलित रहने को आवश्यक बताता है। उन्हें पक्षपाती नहीं होना चाहिए विरोधी हित नहीं रखना चाहिए तथा दूसरे के अनुचित प्रभाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए।

3. **गोपनीयता का सिद्धान्त**–यह सिद्धान्त लेखा व वित्त प्रबन्ध से सम्बन्धित व्यवसायी को उसके कार्य सम्बन्धी गोपनीय सूचनाओं को प्रकट करने से रोकता है। यह सूचनाएँ अधीनस्थों द्वारा प्रकट करने से रोकता है। यह सूचनाएँ अधीनस्थों द्वारा प्रकट की जा सकती हैं।

4. व्यावसायिक प्रतिस्पर्द्धा एवं उचित ध्यान का सिद्धान्त वित्त एवं लेखांकन व्यवसायी के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी व्यावसायिक कुशलता को समय – समय पर आधुनिक बनाये रखें।

5. **व्यावसायिक व्यवहार का सिद्धान्त**–यह सिद्धान्त लेखा एवं वित्त व्यवसायी को सम्बन्धित कानूनों और अधिनियमों के अनुपालन करने तथा ऐसे कार्य जो व्यवसाय की प्रतिष्ठा को कम करते हैं, से बचने की सलाह देता है।

21. निम्नलिखित तत्वों के कारण अंगूरी रस (अफवाह) फैलता है :

(i) अनिश्चितता की भावना या निर्देशन की कमी, विशेषतः जब कोई संस्थान अपने कठिन समय में से गुजर रहा हो।

(ii) कर्मचारियों में अनुपयुक्तता की भावना अथवा आत्मविश्वास की कमी रहती है, जिससे कि समूहों का निर्माण सम्भव हो जाता है।

(iii) प्रबन्धक द्वारा चारों ओर इच्छित व्यक्तियों का समूह बनाये जाने से अन्य कर्मचारियों में असुरक्षा और अलग–अलग होने की सम्भावना प्रबल हो जाती है। ऐसी दशा में कार्य करने वाले कर्मचारियों के मन में विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं जिनको वे अपने दलगत साथियों में बाँटना चाहते हैं। प्रायः ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति उनको अपने स्तर पर मिल जाते हैं। लेकिन अन्य स्तरों पर भी इनका मिलना असम्भव नहीं है। इस प्रकार के संचार पर मनोवैज्ञानिक एवं प्रबन्ध विशेषज्ञ गम्भीरता से विचार कर रहे हैं।

22. **समूह संघर्ष**–समूह संघर्ष दो आत्म निर्भर दलों के बीच व्यक्त संघर्ष है, जो असंगत लक्ष्यों को समझते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरे दलों से भरपूर संसाधन और हस्तक्षेप भी पाते हैं। एक संघर्ष के सम्बन्ध में दो पहलू होते हैं :

1. **सम्प्रेषित करना**–दोनों पक्षों को अपनी समस्या को व्यक्त अथवा उसका सम्प्रेषण दूसरे पक्ष को करना आवश्यक है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

2. **अवधारणा**–दोनों पक्षों की अवधारणा, उनके लक्ष्य, संसाधन तथा विरोध एक–दूसरे से असंगत है।

संघर्ष प्रबन्धन–वातावरण, जिसमें संघर्ष का समाधान करना महत्वपूर्ण होता है। अनुकूल समय को प्रोत्साहित करने के लिए संचार व्यवस्था की योजना करना आवश्यक है, जो महत्व के निम्नलिखित आधार पर चिह्नित किये जाये :

(i) विचार प्रस्तुत करना।

(ii) कार्य में समस्या की स्थिति–निर्धारण और ध्यान केन्द्रीत करना।

(iii) खुलेपन और ईमानदारी से स्वैच्छिक विचार – विमर्श करने।

(iv) दूसरे व्यक्ति के विचारों को उचित रूप में समझना।

(v) विचारों के लिए समान रूप से प्रश्न करना।

(vi) दूसरे के विचारों को सुनने के लिए इच्छुक होना।

सफलतापूर्वक व्यवस्थित संघर्ष सृजनात्मक हो सकता है और सम्बन्धों को मजबूत कर सकता है।

23. साधारणतः व्यक्ति संस्था में परिवर्तन का विरोध करते हैं। फिर भी कुछ लोग हैं जो निम्नलिखित कारणों से परिवर्तन का स्वागत करते हैं –

1. **व्यक्तिगत लाभ**–व्यक्ति परिवर्तन को सरलता से स्वीकार करेंगे जब उन्हें निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे :

   - अधिक सुरक्षा
   - धन
   - अधिक अधिकार
   - पद / प्रतिष्ठा
   - बेहतर कार्य दशाएं
   - स्वयं सन्तुष्टि
   - बेहतर व्यक्तिगत सम्पर्क
   - कम समय और प्रयत्न।

2. अन्य कारण :

   एक नयी चुनौती

   आदर /स्त्रोत को पसन्द करते हैं;

   परिवर्तन के संचार का ढंग पसन्द करते हैं;

   नीरसता को कम करना;

© The Institute of Chartered Accountants of India

इनपुट के लिए अवसर प्रदान करना;

भविष्य को सुधारना।

यह दृष्टिकोण कि परिवर्तन आवश्यक है।

24. क्षतिपूर्ति बन्धक

मैं Mr. सोमनाथ पुत्र श्री ..... निवास ..... एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं क्युट मेबरिक लि. को होने वाली क्षति जो कि उसको 170 अंशों के अंश लाभ 1700 को मेरे को दे देने के कारण होगी कि क्षतिपूर्ति के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।

मैं आगे घोषणा करता हूँ कि मुझे यह अंश लाभ वारण्ट व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नहीं हुए हैं।

दिनांक : .....

स्थान : .....

हस्ताक्षर

25. प्रथम निदेशक मण्डल की सभा की सूचना

A. P. L.

तिथि :

सेवा में

(निदेशक)

प्रिय श्रीमान/श्रीमती

आपको सूचित किया जाता है कि निदेशक मण्डल की प्रथम सभा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर 15 सितम्बर, 2015 को सायं 3 बजे निम्नलिखित कार्य संलग्न एजेन्डे के अनुसार निष्पादित करने के लिए की जायेगी –

आपसे प्रार्थना है कि सभा में उपस्थित हों।

आपका भवदीय

सचिव

निदेशक मण्डल की ओर से और उसके वास्ते

स्थान :

तिथि :

एजेण्डा :

(i) सभापति के चुनाव

(ii) पंजीकरण का प्रमाण – पत्र, सीमानियम और अन्तर्नियम प्रस्तुत करना

© The Institute of Chartered Accountants of India

(iii) कम्पनी के सभापति का चुनाव

(iv) प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति

(v) सचिव की नियुक्ति

(vi) अंकेक्षक की नियुक्ति

(vii) बैंकर्स कि नियुक्ति और बैंक खाता खोलने का अनुमोदन और इसका संचालन

(viii) कम्पनी की सार्वमुद्रा को अपनाना

(ix) प्रवर्तकों द्वारा प्रारम्भिक व्ययों का अनुमोदन और प्रारम्भिक अनुबन्धों और अभिगोपन अनुबन्धों को अपनाना

(x) सभापति की आज्ञा से अन्य कोई कार्य।

© The Institute of Chartered Accountants of India